भंवरलाल बनाम मोहनलाल आदि
प्रकरण सं. 598/2025 अन्तर्गत धारा 88,53 आरटीएक्ट

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुये
18.02.2026	वकील वादी भंवरलाल द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 6 नियम 17 सीपीसी सपठित धारा 152,153 सीपीसी पेश करने पर पत्रावली को पेशी में लिया गया। वकील वादी ने निवेदन किया कि वादपत्र में सहवन से वादी प्रतिवादीगण की भूमि का विभाजन गलत दर्ज हो गया तथा उसी अनुसार निर्णय व डिक्री दिनांक में विभाजन गलत दर्ज हो गया। जिसे दुरूस्त किया जावे। जिस पर वकील प्रतिवादीगण ने अनापति पेश की। वकील उभय पक्ष की बहस सुनी गई। पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड के आधार पर प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुए निर्णय व पर्चा डिक्री दिनांक 06.02.2026 में मुताबिक प्रार्थना पत्र अनुसार संशोधन किये जाने के आदेश दिये जाते है। शेंष अंकन पूर्व निर्णयानुसार ही रहेगा। संशोधित पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली पूर्व निर्णय की पालना में दाखिल दफ्तर हो। सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी [illegible]	

Signature Not Verified

Digitally signed by Sanjay Kumar
Date: 2026.02.27 11:45:15 IST
Reason: SelfAttested